संख्या–611/ /III(2)/16–51(पी0पी0डब्लू0)/2016

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 22 मार्च, 2016

विषय– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–सोमेश्वर में विभिन्न 03 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा द्वारा जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–सोमेश्वर में संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विभिन्न 03 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 20.00 कि0मी0 + 01 सेतु तथा लागत ₹ 76.63 लाख है पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 76.63 लाख (₹ छिहत्तर लाख तिरसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में संलग्नक के कॉलम सं0 5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 03 कार्यों हेतु ₹ 0.30 लाख (₹ तीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरें जो [illegible] दर शेड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v) आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरे मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) नियमानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, वृक्षों की कटान आदि मदों के सापेक्ष में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)— वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय समस्त पत्र से निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तद्नुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800- अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 1196/XXVII/(2)/2015 दि0-22 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोपरि। [illegible] 13116 [illegible] /JE(T)

1851/1C दि0 [illegible] [illegible]

अधिशासी अभियन्ता

[illegible]

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)

प्रभारी सचिव

संख्या:- (1)/III(2)/16-51(एम0एल0ए0)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून। छाया प्रति सत्यापित
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी अल्मोड़ा।
4. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा। सहायक अभियन्ता
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा। प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
6. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन। अल्मोड़ा
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ए0एस0ए0[illegible])

उप सचिव

[illegible] /266 [illegible] दिनांक 28/3/2016

[illegible]

अधिशासी अभियन्ता,

[illegible] लो0 नि0 वि0,

अल्मोड़ा

शासनादेश सं०– 640 / III(2)/16–51(ए०ए०पू०)/2015 दिनांक 22 मार्च, 2016 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई कि०मी० में	कुल स्वीकृत लागत।	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5
1	**मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–1799/2015 के अन्तर्गत** जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र– सोमेश्वर के अन्तर्गत द्वारसों–काकड़ीघाट मोटर मार्ग के ग्राम टनवाड़ी बैण्ड से धनी भैसोली लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बदुलिया तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	6.00	27.19	0.10
2	**मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–2204/2015 के अन्तर्गत** जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र– सोमेश्वर के अन्तर्गत धामस–ज्योली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। (प्रथम चरण)	10.00 + 30 mtr.	35.91	0.10
3	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सोमेश्वर के अन्तर्गत शीतलाखेत–कनपुड़िया मार्ग से चम्पा–गूंठ होते हुए ज्योली बराद मार्ग तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	13.53	0.10
	योग:–	20.00 + 01	76.63	0.30

(कुल ₹ तीस हजार मात्र)

([illegible])

उप सचिव

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

अल्मोड़ा